परियोजना का नाम-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

उपखण्ड स्तरीय समिति भट्टेना लिगाजाव - रिजिस्ट अपूर्य - नद्धा ले उपखएड हम्सी मरिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अग्य गर्गा का मार्थित रे के के कार्य हैं। अरिक्षत वन भूमि 133 हैं। सिविल एवं सीयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि गार्व हैं। अर्थात कुला 32 हैं। वन भूमि) का का का जात जात जात प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जॉर्ने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील की दिनांकरा.. १२..११...को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री निवारउपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षवा में ओयोजित

की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नान्सार है।.

1. श्री ना विश्वाद उपजिलाधिकारी का ही . अध्यक्ष का प्रवास के प्रव 2. श्री रहेन्य होना उप प्रभागीय वनाधिकारी नेना लाल सदस्य

3. श्री नाम्भ केवेसहायक समाज कल्याण अधिकारीसदस्य / सचिव अर्थ

4. श्री प्राचना थेड ना बी डी सी क्षेत्र भड़ता विभावात । सदस्य , उपखण्ड सचिव द्वारा गाननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यदाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद ननाताल क अन्तगत एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम रामा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार

समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...

कमशः २पर

परियोजना के निर्माण हेतु 1.34 है० वनभूमि अस्तार यह की जन विकार प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमिति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, तहसील- क्नीताल

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, तहसील— क्रीताल। प्रदेशना का नाम .-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम ज्यायत का नाम - अन्द्रविक्रमास्य राजा निर्माण - नर्गण -तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापितत प्रभाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद निनीताल के अन्तर्गत के कार्य के कार्य के किया के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1901. हैं आरक्षित वन मूर्मि सिविल सीयम भूमि हैं। उन्हों चंचायत मूर्मि हैं। अर्थात कुल 33 हैं। वन मूर्मि का अस्त के करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायल के किया में ग्राम पंचायल के बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किरी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आदेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम निर्णय किया प्राप्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 33 है । प्रयोक्ता प्रमेंसी को परियोजना

के निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

बाभ पंचायत महनोजिया गांव विकास किंड, धारी (नंनीताव) प्राच नधान

याम वचायार्थाह वासिमाना

नाद्धासमिक किसी (गेदिवासी अथवः कावाधी को निजी भूमि प्रशावित हो रही है तो उद्भुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उवत प्रतान प्रयोक्ता एजेशी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताद के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1 दिनांक 🗓 . 12.10 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति भटना कि स्वादंग्य . राजा (अका प्राप्त के दर्गा के सम्पन्त के उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	4. Clarent VV	7,61002112
2.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	211/10000
3	मिलाएक प्रिकास	-ागर्य वान्य विश्वास
	96 4.181	des 3002
9	There are a	श्रीश्रीचंड्र
6		के अवस्थितियाँ
7	कार्यादार जार्थ	1
3	_0	72
1	<u> अ</u> बीटव	13564
to		1817
M	चे हु ४ राष्ट्र	of a course
12	Model of	56
13	अर्श भ	1x-yours 1
W	38 mg	1. En4201811
w	लाराया कर	「成甲」
	बेशवदर्	1 0521 0/296
	अनीज जीकी	- my
	11.0000	John -
	Sul Suldaning west	- Atom - A
		3000
	ि रेक्ट मिथी	12 0 0 D
	refres cubis	I SUEL I
	de tont	1200
	दीप-पन्द जाम)	arant 1
	Evile To THE	100
4	मूर्जी देवी	- Fear
	मधान ।	Of 30 9
	बान पंत्रायत महक्रोजिया गाँव	Marcolinse
Paris and Attended to the Children Colonia Colonia Children Colonia Colonia Children Children Colonia Children Chi		
	Comment of the second	

भारियामे जिलाना 1.6

Form - 1 **Government of Uttrakhand** Office of the District Collector: Nainital

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of india's letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.33 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District falls within Jurisdiction of Nadgal Village in Dhari Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 toannexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

Alaura

Signature

(Full name of the official seal of the District collector)

जिलाधिकारी

नेनीताल.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

Signature

जिलाधिकारी मैनीताल.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule

tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under

FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat I.A.S. Deputy

Commissioner. Nainital on date .. 7.12/2016 at time . 21.10 PM... at Nainital in Which

application claiming rights of national area measuring 1.33 hect. for . Construction of Motor

Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital

District Uttarakhand. Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed

and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to

consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were

found to have been made & hence District level committees recommend the above case for

diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

'बबा बनाव क्रवाच बडिकार्च

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.

जिलाधिकारी मैनीताल.